न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 42/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री सचिन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय
   एफबीओ मैसर्सः– ओमप्रकाश अश्वनी कुमार, रेल्वे स्कूल की गली, नया कटला दौसा।
2. श्रीमति पूनम देवी विजय
   एफबीओ मैसर्सः– संस्कार इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 1156–59, मिडवे के पीछे जयपुर रोड दौसा।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 22.11.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 10.1.2017 को दोपहर 2:00 बजे मैसर्स ओमप्रकाश अश्वनी कुमार, रेल्वे स्कूल की गली, नया कटला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सचिन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। प्रति संलग्न है।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक कार्टून में करीबन 30 पॉली पैकिंग में 500 ग्राम वजन में पैक हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पोली पैक 500 ग्राम वजनी हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) नमूने की जॉच हेतु खरीदा जिनकी कीमत 320 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि खरीदशुदा हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) को चार साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बों में रखकर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1552 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) श्री सचिन कुमार के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव एफ0एस0ओ0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.1.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.1.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.1.2017 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./25/एक्ट/2017/90 दिनांक 24.1.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर स्वयं बहस की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) के नमूने के लेबल पर **added edible oil approx 2%** लिखा हुआ है जो नियमानुसार **permitted** नही है। जवाब में अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि हमने किसी प्रकार की मिलावट नहीं की है। गलती से

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) के पाउच पर added edible oil approx 2% प्रिन्ट हो गया, जिसके बारे में हमको अनुमान नहीं था। जैसे ही हमे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया तो हमने तुरन्त सुधार कर लिया है। अतः प्रकरण को खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है, जो एफएसएसए नियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (ओम श्याम भोग) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से एफएसएसए नियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी सं0 1 श्री सचिन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय एफबीओ मैसर्सः– ओमप्रकाश अश्वनी कुमार, रेल्वे स्कूल की गली, नया कटला दौसा पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार) रूपये एवं अप्रार्थी सं0 2 श्रीमति पूनम देवी विजय एफबीओ मैसर्सः– संस्कार इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 1156–59, मिडवे के पीछे जयपुर रोड दौसा पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 22.11.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 7489-92
दिनांकः– 22.11.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सचिन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश विजय एफबीओ मैसर्सः– ओमप्रकाश अश्वनी कुमार, रेल्वे स्कूल की गली, नया कटला दौसा।
4. श्री पूनम देवी विजय एफबीओ मैसर्सः– संस्कार इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0 1156–59, मिडवे के पीछे जयपुर रोड दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा